न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज सरडी देवी बनाम श्याराम मु.नं.– 60/24 किस्म – विविध -128.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये Regd AD कराये एक महिने से अधिक समय हो चुका है। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र दिनांक 24.4.25 को पेश हो। ह० उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	24.4.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.रा. अधि. 1956 पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह० उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60/24	27.06.24	24.04.25

बउनवान

1. काडी देवी पत्नी महेश चन्द, निवासी नांगल, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. गुडडी देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार, निवासी नांगल, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र उमराव, निवासी नांगल, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. पप्पू पुत्र उमराव, निवासी नांगल, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. मोहन पुत्र उमराव, निवासी नांगल, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. सुमरन पुत्र उमराव, निवासी नांगल, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. बदरी पुत्र रामसहाय, निवासी नांगल, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री भँवर सिंह।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 2237/2502 रकबा 3.16 हैक्टे., किस्म बंजड वाके ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा में स्थित है। उक्त आराजी के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का प्रार्थीगण की आराजी पर कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं है लेकिन आये दिन अप्रार्थीगण पडोसी काश्तकार होने के कारण प्रार्थीगण की आराजी की डोलमेढ को तोडते रहते हैं जिससे परेशान होकर प्रार्थीगण ने दिनांक 20.05.23 को तहसीलदार बैजूपाडा के आदेशानुसार की गयी पैमाइश की निशानदेही पर साथ–साथ पत्थरगढी नहीं करवायी गयी। इस कारण पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद पूर्व की भांति कायम है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.05.2023 को प्रार्थीगण की आराजी की पैमाईश की गयी थी लेकिन पत्थरगढी का निवेदन किया तो तहसीलदार से आदेश बाबत कहा तो प्रार्थीगण ने तहसीलदार बैजूपाडा को दिनांक 20.05.23 को निवेदन किया तो तहसीलदार ने स्पष्ट मना कर दिया तथा कहा कि पत्थरगढी करवाने के लिये आप सक्षम न्यायालय से आदेश लावे। इस कारण प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पेश किया गया है। अतः अर्ज है कि आराजी खसरा सं. 2237/2502 की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 2237/2502 रकबा 3.16 हैक्टे. भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा दिनांक 20.05.23 को आराजी खसरा सं. 2237/2502 का सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 2237/2502 रकबा 3.16 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी करके पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)